

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशित:- श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0

दायर दिनांक

निर्णय

108 / 2021

1.9.2021

30.3.22

## उनवान

1. हरलाल उम्र करीब 50 साल पुत्र बहादर
2. देवकरण उम्र करीब 60 साल
3. शीशराम उम्र करीब 40 साल
4. देवीराम उम्र करीब 38 साल
5. भवानी उम्र करीब 35 साल पुत्रान महादेवा जाति गुर्जर निवासी खेडा तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:— वादीगण

## बनाम

1. रामकवार
2. भीमसिंह
3. कृष्ण कुमार पुत्रान दीनाराम जाति अहीर निवासी मादीपुर हाल आबाद झामूवास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
4. आलमचन्द पुत्र जवाहरलाल जाति राजपूत निवासी झामूवास तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।
5. कमलीदेवी पत्नी रामदयाल
6. जैसाराम
7. बाबूलाल
8. निहालसिंह पुत्रान रामदयाल
9. रम्मोदेवी
10. कृष्णा देवी
11. लीलीदेवी
12. हंसादेवी पुत्रीयान रामदयाल जाति गुर्जर निवासी खेडा तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।
13. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण


दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 अन्तर्गत धारा 1955

उपरिस्थिति:-1. वादी की ओर से श्री लेखराम वकील  
2.प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)

पर्चा डिक्री दिनांक 30.3.22

वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि आराजी ख० न० 371 रकबा 0.54 हे० वाके ग्राम झामूवास तहसील किशनगढबास पर वादीगण सं० 1 को 1/2 भाग का तथा वादीगण सं० 2 लगा० 5 को 1/2 भाग का खरीददार काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है यदि वादीगण आराजी उक्त के शेष गैरखातेदार रकबा 0.28 हे० की नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ति जमा राजकोष कराने पर हकूक खातेदारी प्रदत्त किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा कोष होकर सनद खातेदारी वादीगण के नाम जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड में जो प्रतिवादीगण सं० 1 लगा० 4 का अंकन खातेदार तथा गैरखातदार का हो रहा है उसे हजफ किया जावे। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)